

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

४०

(6)

पत्रांक : 148 / प्र०अ०-मवन / जोन-2 / 2011-12 दिनांक २२/०५/२०१२

अनुमति-एवं

यह अनुमति डॉग्र नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की वारा 14 व 15 वें अंतर्गत हो जाती है, जिन्हे स्थानीय भवन मानवित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रयत्न या किसी स्थानीय विकास या इसका संबंधी अभ्यास फर्म के गालिकाना अधिकारी पर लिखी का कोई ऊरु पड़ना आवश्यक नहीं किया जाएगा।

श्री परमाजीत सिंह व श्रीमती राजेन्द्र कीर रथन भवन संख्या 32/31 जीरो रोड, इलाहाबाद जोन गल्ला (2) के अन्दरना द्वारिल व्यवसायिक भवन मानवित्र के प्रस्तावित भान पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिक्रिया के अधीन प्रदान हो जाती है :-

१. डॉग्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की वारा 14 व 15 (१) के प्राविदानों के अनुच्छेद पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उम्मीद/अधिकारी लिख जाएग, भवन निर्माण एवं विकास उपयोगी २००४ में अपवित्र संज्ञा २.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा इस पूर्णता प्रमाण १५ वर्ष वाला करना आवश्यक है।
२. यह (पैकाति अनान्त्रिम (Provisional) त्वापति के लिए गो होगी, निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, रासी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C गो जर्ते हों करने के पश्चात, २००५ की तारीख ताले 'पूर्णता दर्शन'—पत्र दाया करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. ज्यामित्य सम्बन्धी लिखी भी प्रिवाद पर नामित्र स्वतः निर्धार राखना जायेगी।।।
४. स्थल पर ४X३ फिट का एक बैर्ड लगाकर स्वीकृति रामनवी विवरण अंकित करना होगा।
५. स्थल पर ०२ युक्त लगानी होने तथा युक्त की हो—१५ वर्षों का दृष्टिकोण आवेदन का होगा।
६. स्थल पर निर्माण करते समय यह निर्दिष्ट आवेदन के दृष्टिकोण आवेदन का होगा।
७. निर्माण करते समय रात्रि १०८० इवाहिदी की धूते = जोने पाये, अन्यथा उससे भू स्वार्गी को अपने हर्जे—हर्ते से न निर्माण जरना होगा।
८. भवन के लिए निर्माणी की परिस्ति व्यवस्था किया जाना। अनियार्थ होना। निर्माण के पश्चात स्लिप/गिरदार सड़क से हटना। निर्माणित पालिंग लूल पर दौ लेया जाना अनियार्थ होगा।
९. गाहियों गो पाकिंग निर्मारित पालिंग लूल पर दौ लेया जाना अनियार्थ होगा।
१०. प्रासारीक गानवित्र बेसमेन्ट में स्टोर, ऐलूल पर पाकिंग, अन्य वाहाना पर व्यवसायिक होता हुआ प्रथम एवं द्वितीय घर पर आवासीय निर्माण लो अनुमति हेतु है, अपने का उपयोग/अधिकारी भी उत्तमानुसार करना अनियार्थ होगा।
११. स्थल पर रेनवाटर ज्वारेस्ट्रिंग इपालो मानक के अनुसार विकसित कर भू-गर्भ जल विभाग से अनान्त्रित प्राप्त करना अनियार्थ होगा, तत्परता ही जमा रफ्लॉअफ वापसी की जायेगी।
१२. यदि दोवेंदक द्वारा कोई महात्म्यपूर्ण शुद्धा छिपाई गयी है अथवा गंभीर लूपना ही नहीं हो तो उपरान्त नियोजन रख विकास अधिनियम 1973 की वारा 15 (१) के अन्दरगत भानवित्र नियोजन करने वायं होगा।
१३. यह तीव्रकृत पत्र कंवल बैच वर्फ की अवधि के लिए है। यदि भूत्वाणी के रूपान्तर अवधि अवधि एवं रोड इलायादि का अतिरिक्त प्रिकालकर्ता द्वारा किया जाता है तो इन्हें प्राप्त द्वारा नियोजन १५ वर्ष वाले नियोजन एवं दिलास अधिनियम 1973 की सुनियोजन द्वारा की अन्तर्गत कारबाही की जायेगी।
१४. यह निर्माण के समय इसका गो यान रखना होगा कि भारतीय देश्योत्तर अधिनियम १९६६ (हिन्दूनगर इलायिक एसी १९६६) नियन ८२ का उल्लंघन किया गो दरा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे गानहै पर्ये गये हो तब ऐसे भूमिका के रूप अवधि हटवा देकरा है।
१५. आदेक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण के मकान की नींग तक तथा उत्तर तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचन मकान आवास जोने से पूर्व देना होगा तथा उस अवधि का नाम भी देना होगा नियमके नियोजन में मकान निर्मत हुआ है।
१६. यदि निर्माण में मृद्ग लान का उल्लंघन होता नहा तथा जो निर्माणकर्ता को यो नई स्थीरति दद समझी जायेगी और लिना गया निर्माण अनाधिकृत घोषित कर उका अधिनियम की वारा २१ (१) के उन्नांत अर्थात् आराम को लायेगी।

(संभाल सिंह)
संभाल सचिव/प्र०अ०-मवन
इलाहाबाद विभ स प्राधिकरण

इलाहाबाद

२२/०५/२०१२

५५५२४८९०२

५५५२४८९०२

